13

(ईमेल/स्पीड पोस्ट)

प्रेषक

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

NATIONAL GREEN TRIBUNAL
Principal Bench, New Delhi
Receipt & Issue Branch
Received
15 APR 2023
Dairy No. 1600
Signature

सेवा में,

सलाहकार (न्यायिक)
माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या : 51 /30-जी.सी./2022-23 दिनाँक : 10 अप्रैल, 2023

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 798/2022 ममता चौरसिया एवं अन्य बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने पत्र संख्या यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा.-183-652/2023/1655 दिनाँक 18.01.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं.-798/2022 ममता चौरसिया एवम् अन्य बनाम् उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनाँक 05.01.2023 द्वारा ग्राम सेमलचौड़ एवं पत्तापानी, पोस्ट बैलपड़ाव, जिला नैनीताल में स्टोन क्रेशरों द्वारा एवम् माफियाओं द्वारा अवैध खनन से सम्बन्धित प्रकरण में मा. एन.जी.टी. द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निम्नलिखित विभागों की संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है :-

1. जिलाधिकारी, नैनीताल।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

प्रकरण पर समन्वय एवम् अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, नैनीताल को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। प्रकरण पर वस्तुस्थिति एवम् नियमानुसार कार्यवाही सहित 03 माह के अन्तर्गत निरीक्षण आंख्या एवं कृत कार्यवाही की आंख्या एन.जी.टी. में दाखिल की जानी है। उक्त प्रकरण में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से डॉ. डी.के. जोशी, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कॉलोनी, हल्द्वानी (मो.नं.-9412998572, ई-मेल- ro.haldwani@gmail.com, dkjoshi21@gmail.com) को नामित किया गया है। तद्क्रम में प्रकरण में संयुक्त कमेटी का सदस्य नामित करने का अनुरोध किया गया है तथा निरीक्षण में नियमों का उल्लंघन पाये जाने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निरीक्षण आख्या एवम् कृत कार्यवाही की आख्या मा. एन.जी.टी. में दाखिल किये जाने का अनुरोध किया गया।

उक्तानुसार किये गये अनुरोध के क्रम में प्रकरण में उप जिलाधिकारी, कालाढूंगी को संयुक्त कमेटी का सदस्य नामित करते हुए एक सप्ताह के अन्दर निरीक्षण करते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उप जिलाधिकारी, कालाढूंगी द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या 328/ना.ना./2022-23 दिनाँक 17 मार्च, 2023 के माध्यम से निरीक्षण आख्या मूल में संलग्न कर प्रेषित की गई है, जो निम्नवत् है :-

अवगत कराना है कि ग्राम पत्तापानी तथा ग्राम सैमलचौड़, जिला नैनीताल में, निम्नानुसार 06 अनुज्ञाधारकों को खनन अनुज्ञा सक्षम स्तर से जारी हुई थी।

क- श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी, तह0 कालाढूंगी नैनीताल।
ख- श्री सुभाष चन्द्र, पुत्र श्री टीकाराम, निवासी ग्राम दुर्गापालपुर मोतीराम, तह0 लालकुऑ जिला नैनीताल।
ग- श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी ग्राम सूद कलोनी तहसील बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर।
घ- श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड़, बैलपड़ाव, तहसील कालाढूंगी जिला नैनीताल।
ङ- श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह निवासी ग्राम बन्नाखेड़ा, तह0 बाजपुर जिला उधम सिंह नगर।
च- श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोष सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड़, बैलपड़ाव जिला नैनीताल।

उक्तनुसार 06 अनुज्ञाओं में क्रमांक 'च' पर उल्लेखित अनुज्ञाधारक श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोश सिंह, ग्राम सैमलचौड़ को ग्राम सैमलचौड़, तह0 कालाढूंगी जिला नैनीताल में अनुज्ञा स्वीकृत की गयी थी, किन्तु उनके द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में कोई खनन कार्य नहीं किया गया है। अन्य पॉच अनुज्ञा स्थलों की जॉच आंख्या निम्नवत है:-

(क) **श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी तह0 कालाढूंगी, जिला नैनीताल:-**

1- जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र संख्या 1572/30-जी0सी0/2020-21 दिनांक 10 सितम्बर, 2021 तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई देहरादून के पत्र संख्या 2854/खनन/भू0खनि0ई0/समतलीकरण /2020-21 दिनांक 03 नवम्बर द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी तह0 कालाढूंगी जिला नैनीताल को तह0 कालाढूंगी के ग्राम पत्तापानी क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 2.337 है0

OA 798/2022
Ld. R.G. 15-4-2023
254/23/Jud. 19/04/23

निजी नाप भूमि में समतलीकरण हेतु तथा समतलीकरण से निकलने वाले उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) की निकासी की 6 माह की अवधि हेतु उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक अनुभाग–1 के पत्र संख्या–1909/VII-A-1/2021–5 (31)/2021 दिनांक 12 नवम्बर, 2021 के द्वारा सशर्त अनुज्ञा अनुमति प्रदान की गयी है।

2– उक्त अनुमति अनुज्ञा की शर्त संख्या 05 के अनुसार आवेदक द्वारा संयुक्त निरीक्षण आंख्या में उल्लेखित मात्रा के अनुसार उपखनिज की निकासी की जानी थी। संयुक्त निरीक्षण आंख्या के अनुसार आवेदित भूमि के खसरा सं0 160/1स, 160/1मि0, 160/3मि0, 173/2मि0, 174/2, 175/1 कुल रकवा 4.115 है0 मध्ये रकवा 2.337 है0 भूमि में 06 मी0 गहराई तक समतलीकरण व उक्त भूभाग के खुदान से निकलने वाले कुल 2,24,352 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी प्रस्तावित की गयी थी, जिसकी रायल्टी रू0 154/ घनमीटर की दर से रू0 3,45,50,208/– देय थी।

3– संयुक्त निरीक्षण दिनांक 09.11.2022 को पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत खनन मात्रा से अधिक खनन किया गया है। जिसकी पैमाईश मौके पर खनन विभाग एवं राजस्व विभाग नैनीताल द्वारा की गयी। जोकि पूर्व में प्रेषित अवैध खनन की आंख्यानुसार पायी गयी।

4– राजस्व विभाग एवं खनन विभाग द्वारा पूर्व में संयुक्त रूप से दिनांक 27.12.2021 तथा दिनांक 26.04.2022 को उक्त आवेदित स्थल पर संयुक्त जॉच कर अनुज्ञाधारक के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। जोकि निम्नानुसार है।

दिनांक 27.12.2021 को किये गये निरीक्षण के कम में विवरण	दिनांक 26.04.2022 को किये गये निरीक्षण के कम में विवरण।
अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत गहराई 6 मीटर से अग्रेतर 2 मीटर अधिक खनन किया हुआ पाया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा 100 मीटर X 28 मीटर X 2 मीटर एवं 37 मीटर X 34 मीटर X 2 मीटर में 12985 घनमीटर अवैध खनन किया गया। इसके साथ ही अन्य लगी भूमि पर 40 मीटर X 40 मीटर X 3.5 मीटर में 8960 घनमीटर अवैध खनन किया गया (सौईल फैक्टर 1.6 के अधार पर)। इस प्रकार कुल 21.945 घनमीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया, जिस हेतु रॉयल्टी का दो गुना अर्थात रू0 140 प्रतिटन के आधार पर कुल रू0 67,59,245/– अर्थदण्ड वसूलने की संस्तुति की गयी है। उक्त संस्तुति के अधार पर जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा अनुज्ञाधारक को अपने पत्र संख्या–68/ 30–जी0सी0/ 2021–22 दिनांक 08.02.2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया। उक्त धनराशि को अनुज्ञाधाकर द्वारा दिनांक 20 व 23 मार्च, 2022 को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करा दी गयी थी।	अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत गहराई एवं पूर्व में किये गये अवैध खनन दिनांक 27.12.2021 से अग्रेतर 15 मीटर गहराई तक अवैध खनन किया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा 100 मीटर X 28 मीटर X 15 मीटर एवं 37 मीटर X 34 मीटर X 15 मीटर पर अतिरिक्त रूप से 97,392 घनमीटर अवैध खनन किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य लगी भूमि पर भी पर भी 40 मीटर X 40 मीटर X 15 मीटर कुल 38,400 घनमीटर अवैध खनन किया गया (सौईल फैक्टर 1.6 के अधार पर)। इस प्रकार अनुज्ञाधाकर द्वारा कुल 1,35,792 घनमीटर अवैध खनन किया गया। जिस हेतु रायल्टी का पांच गुना रू0 770/– प्रतिघनमीटर के अधार पर कुल रू0 10,45,59,840/– अर्थदण्ड वसूलने व ई रवन्ना पोर्टल आई. डी. बन्द करने की संस्तुति की गयी। उक्त संस्तुति के अधार पर जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा अनुज्ञाधारक को अपने पत्र संख्या–12/30–जी0सी0 /2021–22 दिनांक 05.05.2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया।

5– निरीक्षण के समय पाया गया कि आवेदित खनन स्थलों में किये गये खुदान को वर्तमान तक भरा नहीं गया है। इस हेतु जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल द्वारा पत्र संख्या–25/30–जी0सी0/2022–23 दिनांक 03 नवम्बर, 2022 द्वारा शासन द्वारा निर्गत की जाने वाली समतलीकरण अनुज्ञाओं में समतलीकरण के पश्चात् खोदे गये गडढों को भरे जाने हेतु की जाने वाली व्यवस्था के सन्दर्भ में शासन स्तर से मार्गदर्शन हेतु पत्राचार किया गया है।

(ख) **श्री सुभाष चन्द्र, पुत्र श्री टीकाराम, निवासी ग्राम दुर्गापालपुर मोतीराम, तह0 लालकुऑ जिला नैनीताल:–**

1– श्री सुभाष चन्द्र, पुत्र श्री टीकराम, निवासी ग्राम दुर्गापालपुर मोतीराम, तह0 लालकुऑ नैनीताल को उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक अनुभाग–1 के पत्र संख्या–2140/VII-A-1/2021–5 (73)/2021 दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 के द्वारा ग्राम सेमलचौड़, तह0 कालाढूंगी के खतरा संख्या–2259/4, 229/3/1, 230/3, 229/5/2, 229/5/1 कुल रकवा 5.017 है0 मध्ये 2.470 है0 भूमि में खुदान से निकलने वाले कुल 2,76,640 घनमीटर आर0बी0एम0 की रायल्टी 4,26,02,560/– के अधार पर 6 माह में निकासी की शर्त के साथ अनुज्ञा निर्गत की गयी है।

2– संयुक्त निरीक्षण दिनांक 09.11.2022 को पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत खनन मात्रा से अधिक खनन किया गया है। जिसकी पैमाईश मौके पर खनन विभाग एवं राजस्व विभाग नैनीताल द्वारा दी गयी। जोकि पूर्व में प्रेषित अवैध खनन की आख्यानुसार पायी गयी।

3– राजस्व विभाग एवं खनन विभाग द्वारा पूर्व में भी संयुक्त रूप से दिनांक 26.03.2022 तथा दिनांक 26.04.2022 को उक्त आवेदित स्थल पर संयुक्त जॉच कर अनुज्ञाधारक के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। जोकि निम्नानुसार है।

दिनांक 26.03.2022 को किये गये निरीक्षण के कम में विवरण	दिनांक 26.04.2022 को किये गये निरीक्षण के कम में विवरण।
अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत गहराई 07 मीटर से अग्रेतर 05 मीटर अधिक खनन किया हुआ पाया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा 100 मीटर X 90 मीटर X 5 मीटर एवं 160 मीटर X 80 मीटर X 4 मीटर पर खनन करते हुए अतिरिक्त रूप से कुल 1,53,920 घनमीटर अवैध खनन किया गया। (सौईल फैक्टर 1.6 के अधार पर)। इस प्रकार कुल 1,53,920 घनमीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया, जिस हेतु रॉयल्टी का पॉच गुना अर्थात रू0 770 प्रति घनमीटर के आधार पर कुल रू0 11,85,18,400/– वसूलने की संस्तुति की गयी है। उक्त संस्तुति के अधार पर जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा अनुज्ञाधारक को अपने पत्र संख्या–05/30–जी0सी0/2021–22 दिनांक 11.04.2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया।	अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत गहराई एवं पूर्व में किये गये अवैध खनन दिनांक 26.03.2022 से अग्रेतर 05 मीटर गहराई तक अवैध खनन किया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा 100 मीटर X 90 मीटर X 5 मीटर एवं 160 मीटर X 80 मीटर X 5 मीटर पर खनन करते हुए अतिरिक्त रूप से 1,75,400 घनमीटर अवैध खनन किया गया। (सौईल फैक्टर 1.6 के अधार पर)। इस प्रकार अनुज्ञाधाकर द्वारा कुल 1,74,400 घनमीटर अवैध खनन पर उपखनिज की कीमत रॉयल्टी का पांच गुना रू0 770/– प्रतिघनमीटर के अधार पर कुल रू0 13,42,88,400/– वसूलने व ई रवन्ना पोर्टल आई.डी. बन्द करने की संस्तुति की गयी। उक्त संस्तुति के अधार पर जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा अनुज्ञाधारक को अपने पत्र संख्या–11/30–जी0सी0/2021–22 दिनांक 05.05.2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया।

4– निरीक्षण के समय पाया गया कि आवेदित खनन स्थलों में किये गये खुदान को वर्तमान तक भरा नहीं गया है जिस हेतु जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल द्वारा पत्र संख्या–25/30–जी0सी0/2022–23 दिनांक 03 नवम्बर, 2022 द्वारा शासन द्वारा निर्गत की जाने वाली समतलीकरण अनुज्ञाओं में समतलीकरण के पश्चात् खोदे गये गडढों को भरे जाने हेतु की जाने वाली व्यवस्था के सन्दर्भ में शासन स्तर से मार्गदर्शन हेतु पत्राचार किया गया है।

(ग) श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी ग्राम सूद कालोनी, तहसील बाजपुर जिला उधम सिंह नगर।

1– श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर जिला उधम सिंह नगर के पक्ष में जिलाधिकारी, नैनीताल के आदेश संख्या–1643/30–जी0सी0/2021–22 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 द्वारा ग्राम सेमलचौड़, तह0 कालाढूंगी जिला नैनीताल के खाता संख्या–231/4/2 रकवा 1.474 है0 व खाता सं0 29 के खसरा सं0 231/3/1 रकवा 2.745 है0 भूमि कुल 5.895 है0 भूमि मध्ये रकवा 0.753 है0 भूमि में 114.60 मीटर ल0 X 65.76 चौ0 X 12 मी0 गहराई में स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए 144693 घनमीटर आर0बी0एम0, जिसकी रॉयल्टी रू0 154/घनमीटर की दर से रू0 2,22,82,729/– के आधार पर 03 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा निर्गत की गयी है।

2– संयुक्त निरीक्षण दिनांक 09.11.2022 को पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत खनन मात्रा से अधिक खनन किया गया है। जिसकी पैमाईश मौके पर खनन विभाग एवं राजस्व विभाग नैनीताल द्वारा की गयी। जोकि पूर्व में प्रेषित अवैध खनन की आंख्यानुसार पायी गयी।

3– राजस्व विभाग एवं खनन विभाग द्वारा पूर्व में संयुक्त रूप से दिनांक 25.11.2021 तथा दिनांक 27.12.2021 को उक्त आवेदित स्थल पर संयुक्त जॉच कर अनुज्ञाधारक के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। जो कि निम्नानुसार है:–

दिनांक 25.11.2021 को किये गये निरीक्षण के कम में विवरण	दिनांक 27.12.2021 को किये गये निरीक्षण के कम में विवरण।
अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत गहराई 12 मीटर से अग्रेतर 02 मीटर अधिक खनन किया हुआ पाया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा 70 मीटर X 45 मीटर X 2 मीटर पर अतिरिक्त रूप सें खनन कर, सौईल फैक्टर 1.6 मानते हुए 10,080 घनमीटर अवैध खनन किया गया। इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा कुल 10,080 घनमीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया, जिसकी कीमत रॉयल्टी का दो गुना 308 प्रति घनमीटर के आधार पर कुल रू0 31,04,640/– वसूलने की संस्तुति की गयी है।	अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा स्थल 114.6 मीटर X 65.76 मीटर X 12 मीटर के स्थान पर औसतानुसार 126 मीटर X 117.50 मीटर X 15 मीटर में खनन किया हुआ पाया गया, इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत एवं पूर्व में दिनांक 25.11.2021 को किये गये खनन के अतिरिक्त 2,00,547 घनमीटर अवैध खनन किया गया। उक्त अवैध खनन उपखनिज की मात्रा 2.00547 घनमीटर हेतु रॉयल्टी का पांच गुना 350/– प्रतिटन के अधार पर कुल रू0 15,44,21,400/– वसूलने व उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति की गयी।

	उक्त संस्तुति के अधार पर जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा अनुज्ञाधारक को अपने पत्र संख्या–63/30–जी0सी0 /2021–22 दिनांक 07.01.2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 1850/30–जी0सी0 /2021–22 दिनांक 07 जनवरी, 2022 के द्वारा उक्त अनुज्ञा को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया।

4– निरीक्षण के समय पाया गया कि आवेदित खनन स्थलों में किये गये खुदान को वर्तमान तक भरा नहीं गया है जिस हेतु जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल द्वारा पत्र संख्या–25/30–जी0सी0/2022–23 दिनांक 03 नवम्बर, 2022 द्वारा शासन द्वारा निर्गत की जाने वाली समतलीकरण अनुज्ञाओं में समतलीकरण के पश्चात् खोदे गये गडढों को भरे जाने हेतु की जाने वाली व्यवस्था के सन्दर्भ में शासन स्तर से मार्गदर्शन हेतु पत्राचार किया गया है।

(घ) **श्री करम सिंह, पुत्र श्री सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड़, बैलपड़ाव तहसील कालाढूंगी जिला नैनीताल।**

1– श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सेमलचौड़, बैलपड़ाव, तहसील कालाढूंगी जिला नैनीताल के पक्ष में जिलाधिकारी, नैनीताल के आदेश संख्या–1644/30–जी0सी0/2021–22 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 द्वारा ग्राम सेमलचौड़, तह0 कालाढूंगी जिला नैनीताल के खाता सं0 147 के खसरा सं0 121 मि0, खसरा सं0 88 मि0 तथा खसरा सं0 89 मि0 व खाता सं0 32 के खसरा सं0 88 मि0 व खसरा सं0 89 मि0 के मध्ये रकवा 0.241 है0, भूमि में 175 मीटर ल0 X 13.76 चौ0 X 9.4 मी0 गहराई में स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदाई की अनुमति व उक्त भूभाग में बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 35,214 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी 03 माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी, जिसकी रॉयल्टी रू0 154/घनमीटर की दर से रू0 54,22,956/देय थी।

2– संयुक्त निरीक्षण दिनांक 09.11.2022 को पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत खनन मात्रा से अधिक खनन किया गया है। जिसकी पैमाईश खनन विभाग एवं राजस्व विभाग नैनीताल द्वारा की गयी। जोकि पूर्व में प्रेषित अवैध खनन की आंख्यानुसार पायी गयी है।

3– राजस्व विभाग एवं खनन विभाग द्वारा पूर्व में संयुक्त रूप से दिनांक 25.11.2021 तथा दिनांक 27.12.2021 को उक्त आवेदित स्थल पर संयुक्त जॉच कर अनुज्ञाधारक के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। जोकि निम्नानुसार है।

दिनांक 25.11.2021 को किये गये निरीक्षण के कम में विवरण	दिनांक 27.12.2021 को किये गये निरीक्षण के कम में विवरण।
अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत गहराई से अग्रेतर 1.86 मीटर अधिक खनन किया हुआ पाया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा 80 मीटर X 12 मीटर X 1.86 मीटर अतिरिक्त रूप से खनन किया गया है जिसमें सौईल फैक्टर 1.6 मानते हुए 2856.96 घनमीटर अवैध खनन किया गया। इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा कुल 2856.96 घनमीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया, जिसकी कीमत रॉयल्टी का दो गुना 308 प्रति घनमीटर के आधार पर कुल रू0 8,79,944/– वसूलने की संस्तुति की गयी है।	अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा स्थल 175 मीटर ल0 X 13.76 मीटर चौ0 X 9.14 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 175 मीटर X 16 मीटर X 11.6 मीटर गहराई में खनन किया हुआ पाया गया, इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत मात्रा एवं पूर्व में दिनांक 25.11.2021 को किये गये खनन के अतिरिक्त स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए 14,166.04 घनमीटर अवैध खनन किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य लगी भूमि पर 95 मीटर X 16 मीटर X 3.6 मीटर पर भी खनन किया गया। स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए 8512 घनमीटर उपखनिज आगणित किया गया। इस प्रकार अनुज्ञाधारक द्वारा कुल 22678.04 अवैध खनन किया गया, जिसकी रॉयल्टी दो गुना रू0 140 प्रतिटन दर से कुल रू0 69,84,836/– वसूलने व उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति की गयी। उक्त संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा अपने पत्र संख्या–62/30–जी0सी0/2021–22 दिनांक 07.01.2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 1850/30–जी0सी0/ 2021–22 दिनांक 07 जनवरी, 2022 के द्वारा उक्त अनुज्ञा को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया।

4– निरीक्षण के समय पाया गया कि आवेदित खनन स्थलों में किये गये खुदान को वर्तमान तक भरा नहीं गया है जिस हेतु जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल द्वारा पत्र संख्या–25/30–जी0सी0/2022–23 दिनांक 03 नवम्बर, 2022 द्वारा शासन द्वारा निर्गत की जाने वाली समतलीकरण अनुज्ञाओं में समतलीकरण के पश्चात् खोदे गये गडढों को भरे जाने हेतु की जाने वाली व्यवस्था के सन्दर्भ में शासन स्तर से मार्गदर्शन हेतु पत्राचार किया गया है।

17

(ड़) **श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह निवासी ग्राम बन्नाखेड़ा तह0 बाजपुर उधम सिंह नगर।**

1– श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह निवासी ग्राम बन्नाखेड़ा तह0 बाजपुर उधम सिंह नगर को उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक अनुभाग–1 के पत्र संख्या–28/VII-A1/2021–5(13)/22 दिनांक 05 जनवरी 2022 के द्वारा ग्राम सेमलचौड़, तह0 कालाढूंगी के खसरा संख्या–168, 169 व 170 कुल रकवा 1.718 है0 मध्ये रकवा 0.800 है0 निजी नाप भूमि में कुल 1,28,000 घनमीटर उपखनिज की निकासी की अनुमति प्रदान की गयी थी, जिसकी रायल्टी रू0 154/– घनमीटर की दर से रू0 1,97,12,000/– देय थी। उक्त अनुज्ञा 06 माह हेतु निर्गत की गयी थी।

2– दिनांक 26.03.2022 को खनन व राजस्व विभाग द्वारा अपने निरीक्षण में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा अनुज्ञा क्षेत्र में ही खनन कार्य किया जा रहा है तथा खनन विभाग एवं राजस्व विभाग नैनीताल द्वारा दिनांक 09.11.2022 को की गयी पैमाईश में भी पाया गया कि आवेदक द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र में ही खनन किया गया है।

3– निरीक्षण के समय पाया गया कि आवेदित खनन स्थलों में किये गये खुदान को वर्तमान तक भरा नहीं गया है जिस हेतु जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल द्वारा पत्र संख्या 25/30–जी0सी0/2022–23 दिनांक 03 नवम्बर, 2022 द्वारा शासन द्वारा निर्गत की जाने वाली समतलीकरण अनुज्ञाओं में समतलीकरण के पश्चात खोदे गये गडढों को भरे जाने हेतु की जाने वाली व्यवस्था के सन्दर्भ में शासन स्तर से मार्गदर्शन हेतु पत्राचार किया गया है।

1. संयुक्त निरीक्षण दिनांक 25.02.2023 को पाया गया कि वर्तमान में उक्त क्षेत्रों में कोई खनन कार्य नहीं हो राह है तथा खनन के कोई वाहन संचालन में नहीं पाये गये।
2. उक्त सभी खनन अनुज्ञाएं निजी नाप भूमि में की गयी हैं तथा वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई खनन कार्य नहीं पाया गया।
3. क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी के नामित प्रतिनिधि डॉ डी0के0 जोशी क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी classification of industrial sectors under red, orange, green & white categories के अन्तर्गत भूमि समतलीकरण का कार्य आच्छादित नहीं है। अतः इस हेतु राज्य बोर्ड द्वारा स्थापनार्थ/संचालानार्थ सहमति निर्गत नहीं की जाती है।
4. उक्त अनुज्ञाधारकों के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञाओं की अवधि मई 2022 में समाप्त हो चुकी है। जांच के दौरान की गयी पैमाईश पूर्व निरीक्षणों के भांति ही पाई गयी है। वर्तमान में उक्त क्षेत्र में कोई भी खनन अनुज्ञा संचालित नहीं है।

उक्त से स्पष्ट है कि अनुज्ञाधारकों द्वारा पूर्व में स्वीकृत अनुज्ञा से अधिक खनन किया गया है तथा सम्बन्धित विभागों द्वारा उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की गयी है तथा उक्त प्रकरणों में अग्रेत्तर कार्यवाही गतिमान है, तदनुसार निरीक्षण आंख्या महोदय के अवलोकनार्थ उपलब्ध करायी गयी है।

अतः उप जिलाधिकारी, कालाढूंगी द्वारा उपलब्ध कराई गई निरीक्षण आख्या की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है, कि कृपया उक्तानुसार वस्तुस्थिति से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अवगत कराये जाने का कष्ट करें।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री राहुल वर्मा, अपर महाधिवक्ता, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. डा0 अंकुर कंसल, पर्यावरण अभियंता/यूनिट हैड–कुमांऊ, यू.के.पी.सी.बी. देहरादून।

जिलाधिकारी,
नैनीताल